न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 160/2016

1 राजवीर पुत्र स्व. गुगन
2 सरबती पुत्र स्व. गुगन
3 रामनाथ पुत्र स्व. गुगन जाति समस्त जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
4 मृतक श्रीराम पुत्र भोलाराम जाति समस्त जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू। (दौराने वाद मृत्यु)
4/1 भगवानी स्त्री स्व श्रीराम
4/2 राजेश पुत्र स्व. श्रीराम
5 जेलाराम पुत्र भोलाराम
6 चिरंजीलाल पुत्र भोलाराम जाति समस्त जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
7 बैजुराम पुत्र स्व. गोपीचन्द
8 नेतराम पुत्र स्व. गोपीचन्द
9 प्रताप पुत्र स्व. गोपीचन्द
10 स्योबाई स्त्री स्व गोपीचन्द जाति समस्त जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक हरचन्द पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
1/1 टेकचन्द पुत्र स्व. हरचन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/2 झझरपाल पुत्र स्व. हरचन्द
1/3 सागरमल पुत्र स्व. हरचन्द
1/4 श्रीमती मदन पुत्री स्व. हरचन्द
1/5 श्रीमती किशोर पुत्री स्व. हरचन्द जाति समस्त जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
2 इन्द्रजीत पुत्र गुगन जाति जाट निवासी सिलारपुरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
3 राजबाला उर्फ सुमितबाला पुत्री श्रीराम स्त्री जयसिंह जाति जाट निवासी हाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
4 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भुगारका तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़।
5 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.05.2016
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट घरड़ाना कलां
मुकदमा उनवानी मृतक हरचन्द बनाम राजवीर वगै.
मु.नं. 67/2010(62/2005) दावा बाबत घोषणात्मक
रिकार्ड दुरूस्ती बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 67/2010(62/2005) में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा वाके ग्राम सिलारपुरी तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस राजस्व कैम्प घरड़ाना कला में पारित किया है। राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट घरड़ाना कला में पत्रावली रखने बाबत अपीलान्टस को पूर्व कोर्ट नोटिस जारी नहीं किया तथा अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं दी तथा अपीलान्टस को विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने से पहले सुना नहीं गया। कानून से राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया हो। मौजदा प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष सन् 2005 से पक्षकारान के मध्य विचाराधीन है तथा पक्षकारान प्रकरण में कन्टेस्ट कर रहे है जिस प्रकरण में पक्षकारान कन्टेस्ट कर रहे है उस प्रकरण में कानून से लोक अदालत की बजाय नियमित न्यायालय में पक्षकारान को सुनकर मैरिट पर निर्णय पारित करना चाहिये। उपरोक्त प्रकार से विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। इस कारण निर्णय व डिक्री जैर बहस खारिज होने योग्य है। गैर मुमकिन रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

की खातेदारी राज्य सरकार के नाम दर्ज है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अधिकार प्राईवेट व्यक्ति को नहीं है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की कार्यवाही धारा 91 एलआरएक्ट 1956 के तहत होती है। उक्त कार्यवाही राज्य सरकार करती है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का विवाद सिर्फ अतिक्रमी व सरकार का होता है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के हक में कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर किया गया है। तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के हक में गलत किया है। तनकी संख्या 3 का निर्णय पारित करने समय विचारण न्यायालय ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के आवश्यक प्रावधानों की तुलना नहीं की। तथा विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पक्षकारान एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 7 की जवाब देही तथा दस्तावेजी सबूत को नजर अन्दाज कर तनकी संख्या 3 का निर्णय वादीगण के हक में करने मे कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 6 का निर्णय प्रवितादी संख्या 1 से 12 के विरूद्ध करने में कानूनी गलती की है। यह कि वादीगण ने बिना आधार के दावा पेश किया है। वादीगण की प्लींडिग के मुताबिक 0.08 हैक्टेयर जमीन हाल खसरा नम्बर 115 में रास्ता की जमीन शामिल कर दी जबकि अपील में वर्णित तथ्यों एवं विवेचना के मुताबिक गत खसरा नम्बर 61 की कोई जमीन हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल नहीं की गई इस प्रकार वादी का उक्त आधार भी सही नहीं है। तथा दावा में दुसरा आधार वादीगण ने यह लिया है कि गत खसरा नम्बर 64/2 की 0.34 हैक्टेयर जमीन हाल खसरा नम्बर 69 में शामिल कर दी जबकि गत नक्शासीट एवं हाल नक्शासीट की तुलना के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 69 में दक्षिण दिशा में गत खसरा नम्बर 45 की जमीन को शामिल किया गया है। इस प्रकार वादी ने यह साबित नहीं किया कि क्या 0.34 हैक्टेयर जमीन हाल खसरा नम्बर 69 में शामिल है या नहीं। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार व कानूनी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विवेचना के दावा डिक्री करने मे कानूनी गलती की है। जमीन हाल खसरा नम्बर 87 रकबा 4.62 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/1 से 1/5 की है तथा खसरा नम्बर 115 अपीलान्टस गुगन एवं भोलाराम के वारिसान की खातेदारी है तथा खसरा नम्बर 69 गोपीचन्द के वारिसान की है। कानून से प्रत्येक तनकी का निर्णय करते समय दावा व जवाब दावा एवं दोनों पक्षकारों की साक्ष्य एवं दस्तावेजी सबूत की पूर्ण विवेचना की जाकर निर्णय पारित करना चाहिये। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में किसी भी तनकी के निस्तारण के लिये दावा जवाब दावा साक्ष्य एवं दस्तावेजों की कोई विवेचना नहीं की। कानून से प्रत्येक तनकी का निर्णय तर्क सहित होना चाहिये। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टस को बिना सुने गलत रूप से डिक्री किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी ने दस्तावेज साक्ष्य में नायब तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट प्रदर्श 1, तथा नक्शा सन 1936–37 प्रदर्श 2, व नक्शा सन् 1979–80 प्रदर्श 3 जमाबन्दी प्रदर्श 4 लगायत 10 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11, 12 जमाबन्दी प्रदर्श 13 लगायत 18 प्रस्तुत की जमाबन्दी प्रदर्श 15 सवत् 2032 से 35 अर्थात बन्दोबस्त से तुरन्त पूर्व में गत खसरा नम्बर 64/2 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा का खातेदार वादी हरचन्द है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 के अनुसार गत खसरा नम्बर 64/2 के हाल खसरा नम्बर 87 रकबा 4.62 हैक्टेयर बने जबकि 19 बीघा 17 बिश्वा का हैक्टेयर में रकबा 4.96 हैक्टेयर बनता है इस प्रकार 0.34 हैक्टेयर रकबा हाल बन्दोबस्त ने जमाबन्दी प्रदर्श 7 के अनुसार कम दर्ज किया है हाल खसरा नम्बर 69 गत खसरा नम्बर 45/1 से बनाना मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किया गया है। जबकि नक्शा प्रदर्श 2 व 3 के मिलान से यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 69 गत खसरा नम्बर 64 से बनाया गया है अर्थात खसरा नम्बर 64/1 रकबा 16 बीघा 16 बिश्वा से हाल खसरा नम्बर 69 निर्मित हुआ है 16 बीघा 6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बिश्वा का हैक्टेयर में रकबा 4.12 हैक्टेयर बनता है जबकि जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 69 का रकबा 5.27 हैक्टेयर जमाबन्दी प्रदर्श 7 के अनुसार दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 69 में गत खसरा नम्बर 64/2 का 0.34 हैक्टेयर रकबा शामिल किया गया है। हाल खसरा नम्बर 115 गत खसरा नम्बर 89 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा से बनना मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 के अनुसार बताया गया है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 12 के अनुसार गत खसरा नम्बर 59 से हाल खसरा नम्बर 35 रकबा 1.38 है. बनाया जाना दर्शाया गया है। जबकि नक्शा प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार गत खसरा नम्बर 60 से हाल खसरा नम्बर 115 बनाये जाना साबित होता है। गत खसरा नम्बर 60 का रकबा 26 बीघा था जिसका हैक्टेयर में रकबा 6.58 बनता है इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 115 का रकबा बन्दोबस्त विभाग ने साबिक रकबा से अधिक दर्ज किया है गत खसरा नम्बर 61 रास्ता है जिसका रकबा जमाबन्दी प्रदर्श 17 से 16 बिश्वा दर्ज हैं तथा गत खसरा नम्बर 63 भी रास्ता है जिसका रकबा 19 बिश्वा दर्ज है जबकि हाल खसरा नम्बर 96 का रकबा 1.24 हैक्टेयर दर्ज है इससे यह स्पष्ट है कि मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया गया है नक्शा प्रदर्श 3 के अनुसार गत खसरा नम्बर 61 जो नक्शा प्रदर्श 2 में दर्ज हैं उसके नये खसरा नम्बर 96 बने है नक्शा प्रदर्श 2 व 3 के अनुसार रास्ता जो गत खसरा नम्बर 60 में से था अर्थात हाल खसरा नम्बर 115 में से है उसक नक्शा गलत बना दिया गया है एवं हाल खसरा नम्बर 115 का नक्शा आकार में बड़ा बना दिया गया है रास्ते की भूमि को हाल खसरा नम्बर 87 में से कायम कर दिया गया है व रास्ते को हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट प्रदर्श 1 के अनुसार उक्त रास्ता का एक गंठा रकबा हाल खसरा नम्बर 115 के खातेदारो ने अतिक्रमण कर लिया एवं 0.08 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में रास्ते का शामिल है। वादीगण की ओर से नायब तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट प्रदर्श 1 एंव मौखिक साक्ष्य पेश की गई जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 60 का एक गंठा रकबा अधिक है अर्थात जो रास्ता था उसका रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल किया गया है एवं उस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

रास्ते के रकबे में 40 फिट लम्बाई में 7 फिट चौड़ाई में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जो दुकाने निर्माण की गई है वो दुकाने रास्ते की भूमि में है इसलिये रास्ते की भूमि में किया गया निर्माण अवैध अतिक्रमण है जो तुड़वाया जाकर साफ करवाया जाने योग्य है क्योंकि रास्ते की भूमि की ना तो किसी को खातेदारी दी जा सकती है। ना ही रास्ते की भूमि में दुकाने निर्माण करने का अधिकार है। वादीगण की ओर से नक्शा प्रदर्श 2 सन् 1936–37 एवं नक्शा प्रदर्श 3 सन् 1979–80 प्रस्तुत किया गया इस नक्शे की तुलना करने व रिपोर्ट प्रदर्श 1 के अनुसार गत खसरा नम्बर 60 का नक्शा आकृति में बड़ा बनाया गया है। तथा रास्ता गत खसरा नम्बर 61 व हाल खसरा नम्बर 96 जहां जिस स्थान पर दर्ज किया गया है वह भी गलत दर्ज किया गया है जहां से नक्शा में रास्ता दर्ज था वहां भी बजाय उस नक्शे में दक्षिण की तरफ दर्ज कर दिया एवं रास्ता का रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया इस प्रकार हाल नक्शा सन् 1979–80 को नक्शा सन् 1936–37 के अनुसार आकृति में कायम किया जाकर दुरूस्त किया जाने योग्य है। इस प्रकरण में गत खसरा नम्बर 61 की भूमि को बन्दोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 60 से बने हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया व हाल खसरा नम्बर 96 रास्ते को गत खसरा नम्बर 64 से बने हाल खसरा नम्बर 87 की भूमि में से दर्ज कर दिया गया था जिसके बाबत दुरूस्त करवाने व रास्ते की भूमि का अतिक्रमण हटवाने का अधिकार प्रभावित पक्षकार वादीगण को है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने दस्तावेज साक्ष्य में नायब तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट प्रदर्श 1, तथा नक्शा सन 1936–37 प्रदर्श 2, व नक्शा सन् 1979–80 प्रदर्श 3 जमाबन्दी प्रदर्श 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

लगायत 10 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11, 12 जमाबन्दी प्रदर्श 13 लगायत 18 प्रस्तुत की जमाबन्दी प्रदर्श 15 सवत् 2032 से 35 अर्थात बन्दोबस्त से तुरन्त पूर्व में गत खसरा नम्बर 64/2 रकबा 19 बीघा 17 बिश्वा का खातेदार वादी हरचन्द है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 के अनुसार गत खसरा नम्बर 64/2 के हाल खसरा नम्बर 87 रकबा 4.62 हैक्टेयर बने जबकि 19 बीघा 17 बिश्वा का हैक्टेयर में रकबा 4.96 हैक्टेयर बनता है इस प्रकार 0.34 हैक्टेयर रकबा हाल बन्दोबस्त ने जमाबन्दी प्रदर्श 7 के अनुसार कम दर्ज किया है हाल खसरा नम्बर 69 गत खसरा नम्बर 45/1 से बनाना मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किया गया है। जबकि नक्शा प्रदर्श 2 व 3 के मिलान से यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 69 गत खसरा नम्बर 64 से बनाया गया है अर्थात खसरा नम्बर 64/1 रकबा 16 बीघा 16 बिश्वा से हाल खसरा नम्बर 69 निर्मित हुआ है 16 बीघा 6 बिश्वा का हैक्टेयर में रकबा 4.12 हैक्टेयर बनता है जबकि जमाबन्दी में हाल खसरा नम्बर 69 का रकबा 5.27 हैक्टेयर जमाबन्दी प्रदर्श 7 के अनुसार दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 69 में गत खसरा नम्बर 64/2 का 0.34 हैक्टेयर रकबा शामिल किया गया है। हाल खसरा नम्बर 115 गत खसरा नम्बर 89 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा से बनना मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 11 के अनुसार बताया गया है तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 12 के अनुसार गत खसरा नम्बर 59 से हाल खसरा नम्बर 35 रकबा 1.38 है. बनाया जाना दर्शाया गया है। जबकि नक्शा प्रदर्श 1 व 2 के अनुसार गत खसरा नम्बर 60 से हाल खसरा नम्बर 115 बनाये जाना साबित होता है। गत खसरा नम्बर 60 का रकबा 26 बीघा था जिसका हैक्टेयर में रकबा 6.58 बनता है इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 115 का रकबा बन्दोबस्त विभाग ने साबिक रकबा से अधिक दर्ज किया है गत खसरा नम्बर 61 रास्ता है जिसका रकबा जमाबन्दी प्रदर्श 17 से 16 बिश्वा दर्ज हैं तथा गत खसरा नम्बर 63 भी रास्ता है जिसका रकबा 19 बिश्वा दर्ज है जबकि हाल खसरा नम्बर 96 का रकबा 1.24 हैक्टेयर दर्ज है इससे यह स्पष्ट है कि मिलान क्षेत्रफल गलत बनाया गया है नक्शा प्रदर्श 3 के अनुसार गत खसरा नम्बर 61 जो नक्शा प्रदर्श 2 में दर्ज हैं उसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झुनू

नये खसरा नम्बर 96 बने है नक्शा प्रदर्श 2 व 3 के अनुसार रास्ता जो गत खसरा नम्बर 60 में से था अर्थात हाल खसरा नम्बर 115 में से है उसक नक्शा गलत बना दिया गया है एवं हाल खसरा नम्बर 115 का नक्शा आकार में बड़ा बना दिया गया है रास्ते की भूमि को हाल खसरा नम्बर 87 में से कायम कर दिया गया है व रास्ते को हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया गया है। रिपोर्ट प्रदर्श 1 के अनुसार उक्त रास्ता का एक गंठा रकबा हाल खसरा नम्बर 115 के खातेदारो ने अतिक्रमण कर लिया एवं 0.08 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में रास्ते का शामिल है। वादीगण की ओर से नायब तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट प्रदर्श 1 एंव मौखिक साक्ष्य पेश की गई जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 60 का एक गंठा रकबा अधिक है अर्थात जो रास्ता था उसका रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल किया गया है एवं उस रास्ते के रकबे में 40 फिट लम्बाई में 7 फिट चौड़ाई में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा जो दुकाने निर्माण की गई है वो दुकाने रास्ते की भूमि में है इसलिये रास्ते की भूमि में किया गया निर्माण अवैध अतिक्रमण है जो तुड़वाया जाकर साफ करवाया जाने योग्य है क्योंकि रास्ते की भूमि की ना तो किसी को खातेदारी दी जा सकती है। ना ही रास्ते की भूमि में दुकाने निर्माण करने का अधिकार है। वादीगण की ओर से नक्शा प्रदर्श 2 सन् 1936–37 एवं नक्शा प्रदर्श 3 सन् 1979–80 प्रस्तुत किया गया इस नक्शे की तुलना करने व रिपोर्ट प्रदर्श 1 के अनुसार गत् खसरा नम्बर 60 का नक्शा आकृति में बड़ा बनाया गया है। तथा रास्ता गत खसरा नम्बर 61 व हाल खसरा नम्बर 96 जहां जिस स्थान पर दर्ज किया गया है वह भी गलत दर्ज किया गया है जहां से नक्शा में रास्ता दर्ज था वहां भी बजाय उस नक्शे में दक्षिण की तरफ दर्ज कर दिया एवं रास्ता का रकबा हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया इस प्रकार हाल नक्शा सन् 1979–80 को नक्शा सन् 1936–37 के अनुसार आकृति में कायम किया जाकर दुरूस्त किया जाने योग्य है। इस प्रकरण में गत खसरा नम्बर 61 की भूमि को बन्दोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 60 से बने हाल खसरा नम्बर 115 में शामिल कर दिया व हाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 96 रास्ते को गत खसरा नम्बर 64 से बने हाल खसरा नम्बर 87 की भूमि में से दर्ज कर दिया गया था जिसके बाबत दुरूस्त करवाने व रास्ते की भूमि का अतिक्रमण हटवाने का अधिकार प्रभावित पक्षकार वादीगण को है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर